राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4585 / 2022

डॉ. हेमराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–II) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधिकारी, जनरल हॉस्पिटल, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अंकित शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.03.2020 की पालना में सी.एम. एच.ओ. सवाईमाधोपुर में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामान्य अस्पताल, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से सी. एच.सी. मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर 50 कि.मी. दूर कर दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की माताजी 70 वर्ष की विधवा महिला है, जिनकी देखभाल अपीलार्थी को ही करनी पड़ती है और अपीलार्थी के ढ़ाई साल का छोटा बच्चा है, जिसकी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। इनकी

देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सामान्य अस्पताल, सवाईमाधोपुर में ही कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावें।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य